रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 12

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

पुस्तकालय सन्दर्भ प्रभाग
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
11.12.87
GOVT OF INDIA
भारत सरकार

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 1987/आश्विन 13, 1909
No. 205] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 1987/ASHVINA 13, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Poging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1987

अधिसूचना

संख्या एफ 4(5)-डब्ल्यू एण्ड एम/87.—अधिसूचना संख्या एफ-4(5)—डब्ल्यू एण्ड एम/87 दिनांक 28 सितम्बर, 1987 के पैराग्राफ संख्या 1 और 2 में आंशिक आशोधन करते हुए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि 1500 करोड़ रुपए के बजाय कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए की राशि तक का अभिदान प्राप्त किया जाएगा। सरकार 2000 करोड़ रुपए

की राशि से अधिक प्राप्त होने वाली राशि के 10 प्रतिशत भाग तक की अभिदान राशि को अपने पास प्रतिधारित रखने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। यदि कुल मिलाकर प्राप्त अभिदान राशि 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए तो अभिदाताओं को नकदी के रूप में आंशिक आवंटन समानुपातिक आधार पर किया जाएगा। उपर्युक्त अधिसूचना की अन्य शर्तें और निबंधन अपरिवर्तित रहेंगे।

राष्ट्रपति के आदेश से,
वी. बालासुब्रह्मण्यन, विशेष कार्यकारी अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 5th October, 1987

NOTIFICATION

No. F. 4(5)-W&M|87.—In partical modification of paragraphs 1 and 2 of the Notification No. F.4(5)-W&M|87 dated 28th September, 1987, the Government of India have decided that instead of Rs. 1500 crores the aggregate subscription of Rs. 2000 crores will be received. The Government reserve the right to retain subscription received upto 10 per cent in excess of the sum of Rs. 2000 crores. If the total subscriptions exceed Rs. 2200 crores, partial allotment will be made to the subscribers in cash on a proportionate basis. The other terms and conditions of the said notification shall remain unchanged.

By order of the President
V. BALASUBRAMANIAN, Officer on Special Duty

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110054
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987